एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में दिनांक 21 फरवरी, 2018 के 10:30 बजे आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की पच्चीसवीं बैठक एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में दिनांक 21 फरवरी, 2018 के 10:30 बजे श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भागीदारों की सूची संलग्न है।

कोरम न होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी और बाद में नीचे कार्यसूची में दी गई मदों पर विचार-विमर्श करने के लिए उसी दिन 10:45 बजे पुन: बुलाई गई।

मद सं0 1:

दिनांक 21.09.2017 को आयोजित 24वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सभी सदस्यों को परिचालित 24वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कार्यवृत्त की पुष्टि कर उसे अंगीकृत किया गया।

मद सं0 II: 24वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

सदस्यों ने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की।

मद सं0 III: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

क) श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने सदस्यों को सी.ए.जी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी, जिसमें चार मुख्य मुद्दे उठाए गए थे, अर्थात,-

i) **विनियम/मानक निर्धारण में देरी** : उन्होंने बताया कि ऑडिट जनवरी, 2016 में किया गया था। तब के बाद विनियम/मानक निर्धारण के बारे में बहुत सा कार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार जिन क्षेत्रों में विनियम/मानक बनाए जाने शेष थे, उनकी पहचान कर ली गई है और ऐसे अनेक विनियम/मानक निर्धारण पर कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है। उन्हें प्रतिभागियों को मानक/विनियम बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों की पहचान करने का अनुरोध भी किया।

ii) **राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण** : राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं और अन्य सार्वजनिक प्रयोगशालाओं में अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है, जिसके लिए एक विशेष रूप से बनाई गई योजना के अंतर्गत 481.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि एफ.एस.एस.ए.आई ने निजी क्षेत्र की 164 प्रयोगशालाओं को भी अधिसूचित किया है, जिससे देश में खाद्य परीक्षण क्षमता को बढ़ाया जा सके।

iii) **राज्यों में प्रवर्तन गतिविधियाँ :** उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिनांक 08-09 जनवरी, 2018 को राज्य स्वास्थ्य/खाद्य सुरक्षा मंत्रियों के साथ ली गई उच्च स्तरीय बैठक के बारे में बताया, जिसमें प्रवर्तन गतिविधियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था; और

iv) **प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ:** उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत निर्देश जारी करने सहित विगत में समय-समय पर लिए गए विभिन्न निर्णयों की अब प्राधिकरण द्वारा अभिपुष्टि कर दी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि सी.ए.जी रिपोर्ट से एफ.एस.एस.ए.आई की समग्र कार्यकारिता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

ख) उन्होंने बताया कि मसौदा भर्ती विनियमों को अधिसूचित कर दिया गया है और एफ.एस.एस.ए.आई के सुचारू रूप से कार्यकरण के लिए सरकार को 604 नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया है।

ग) आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मानक निर्धारण के संदर्भ में वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति की बैठकों की स्थिति, खाद्य विश्लेषक परीक्षा के परिणामों, जिनमें अंतिम परीक्षा के लिए 80 उम्मीदवार पास हुए और 59 उम्मीदवारों ने कनिष्ठ विश्लेषक की परीक्षा पास की, और प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण के अंतर्गत लगभग 1000 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बारे में सूचना दी।

घ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कोडेक्स गतिविधियों के बारे में उन्होंने खाद्य नियंत्रण प्रणालियों में प्रशिक्षण के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों द्वारा फ्रांस और यू.के के दौरे, और प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद आयोजित कोडेक्स समिति की विभिन्न बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के बारे में बताया।

ङ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निवेश और व्यापार में सहायता के लिए सदस्यों को खाद्य नियंत्रण ईकोसिस्टम पर समन्वयन समिति की स्थापना के बारे में भी बताया, जिसमें संबंधित मंत्रालय और औद्यागिक संघ शामिल हैं।

मद सं0 IV: अनुमोदन के लिए मद

कार्यसूची की मद सं0 25.1

खाद्य मानक/विनियम -

क. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानक

(क) अंतिम अधिसूचनाएँ

'विनियम 2.4 धान्य और धान्य उत्पाद' में संशोधन

(I) **(i) सभी दालें, (ii) साबुत और कुटा बाजरा, (iii) कोर्नफ्लेक, (iv) विजर्मित मकई का आटा और मकई का दलिया, (v) कूसकूस, (vi) टेंपी, (vii) टेक्स्चर्ड सोया प्रोटीन (सोया बड़ी अथवा सोया नगेट अथवा सोया चंक अथवा सोया दाने), (viii) साबूदाने का आटा, (ix) बच्चों के लिए फॉर्मूले वाले अनुपूरक (प्रारूप 'बड़े शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पूरक आहार')**

(II) **विनियम 2.7 मिठाइयाँ एवं मिष्टान्न' में संशोधन**

(i) शहद, (ii) मोम, (iii) रोयल जेली

(III) **विनियम 2.10 बीवरेज (डेयरी और फल एवं सब्जी-आधारित को छोड़कर)**

(i) स्प्रिंग वाटर, और

(IV) **विनियम 3.2 खाद्य सहयोज्य पदार्थों के मानक**

(i) स्टेवियॉल ग्लाइकोसाइड।

प्राधिकरण की पूर्व सदस्य और विशेष आमंत्रिति सुश्री श्रेया पांडेय और सुश्री मीतू कपूर के कतिपय अवलोकन निम्नानुसार थे:

क) दालों के मानकों के बारे में नमी अंश की ऊपरी सीमा 14.0% से 16.0% बढ़ाने का सुझाव दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि वैज्ञानिक पैनल ने वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर नमी की सीमा 14.0% रखने की अनुशंसा की थी और यह कहा था कि अधिक नमी स्तर से दालों में एफ्लाटोक्सिन का संदूषण हो जाएगा। नमी अंश 14% रखने का निर्णय लिया गया। तथापि उद्योग इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, जिसके साथ वैज्ञानिक औचित्य हो और जिस पर संबंधित वैज्ञानिक पैनल द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।

ख) कोर्नफ्लेक्स के संबंध में "इसमें उत्पाद के उपयुक्त अन्य कोई अनुमत संघटक हो सकता है" विवरण के नीचे दूसरे वाक्य का संशोधन करने का सुझाव दिया गया, जिस पर सहमति व्यक्त की गई।

ग) मकई के विजर्मित आटे और मकई के दलिये के बारे में अवलोकन आर्द्रता, कच्ची वसा और कण साइज के बारे में थे। यह बताया गया कि कोडेक्स के अनुसार अनुमत अधिकतम आर्द्रता अंश 15.0% है और मानक में आर्द्रता अंश को 13.0 से बढ़ाकर कम से कम 14.0% करने का प्रस्ताव किया गया। कोडेक्स मानकों के अनुरूप कच्ची वसा

की ऊपरी सीमा 0.7% से 2.25% करने का प्रस्ताव भी किया गया। इन अवलोकनों के मद्देनजर निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(i) आर्द्रता अंश की ऊपरी सीमा 13.0 से 14.0% बढ़ाई जाए।

(ii) कच्ची वसा की ऊपरी सीमा 0.7% से 2.25% बढ़ाई जाए।

(iii) सीधे उपभोग के लिए न आशयित अंतरवर्ती उत्पादों के लिए कण साइज की सीमाओं को शामिल न किया जाए।

घ) गंठीले सोया प्रोटीनों (सोया बड़ी अथवा सोया नगेट अथवा सोया चंक अथवा सोया के दाने) के संबंध में अवलोकन आर्द्रता, कुल एश और कच्चे रेश के मानदंडों के बारे में थे, जो कोडेक्स से भिन्न थे। कुल एश की सीमा 7.0 से 8.0% अधिकतम करने पर सहमति व्यक्त की गई।

ङ) बच्चों के लिए फॉर्मूले वाले अनुपूरक आहारों (मसौदा 'बड़े शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पूरक आहार') के संबंध में शिशुओं की आयु, जो कोडेक्स में 3 वर्ष तक है और आई.एम.एस के अनुसार 2 वर्ष तक है, में अंतर होने के कारण प्रस्तावित मानकों के संबंध में मुद्दा उठाया गया। यह मानक केवल 24 माह से बड़े और 36 माह तक के बच्चों के लिए है और %आर.डी.ए भी कोडेक्स से भिन्न है। यह स्पष्ट किया गया कि मानक में %आर.डी.ए (50%) आई.एस मानकों के अनुसार है, जिसमें भारतीय परिदृश्य को उचिततः ध्यान में रखा गया है। इस प्रस्ताव की मंशा पर विचार करने के बाद अंतिम मानक को वैज्ञानिक औचित्य के साथ 30 दिनों के अंदर सम्मतियाँ देने के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और सम्मतियों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण की तरफ से अंतिमित अधिसूचना को अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए।

इन संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने मद सं0 "(ix) बच्चों के लिए फॉर्मूले वाले अनुपूरक आहार (प्रारूप 'बड़े शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पूरक आहार') को छोड़कर अंतिम अधिसूचनाओं का अनुमोदन किया।

खाद्य सहयोज्य/परिशिष्ट-क

1. **विभिन्न खाद्य श्रेणियों में अतिरिक्त सहयोज्य पदार्थों को शामिल करना**

   क) सुश्री पुर्णा दासगुप्ता, फिक्की से विशेष आमंत्रिति ने उल्लेख किया कि विभिन्न खाद्य श्रेणियों में पहले जिन कई सहयोज्य पदार्थों का उपबंध था वे इस अधिसूचना में रह गए हैं। उन्हें पैनल के विचारार्थ ऐसे उपबंधों का विवरण और मानकों में उन्हें रखने का औचित्य बताने को कहा गया। आगे, अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि संबंधित वैज्ञानिक पैनल के विचाराधीन अनुमोदित और

लंबित खाद्य सहयोज्य पदार्थों के उपबंधों की सूची एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर डाली जाए और अंतिम निर्णय लिए जाने तक ऐसे लंबित खाद्य सहयोज्य पदार्थों के उपबंधों के लिए संक्रमण काल अनुमत किया जाए।

ख) सुश्री श्रेया पांडेय ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.3.14 के खंड 19 में संशोधन करने का सुझाव दिया, जिससे कृत्रिम मीठाकारकों वाले बीवरेजों की बिक्री मशीनों से बिक्री पर प्रतिषेध को हटाया जा सके। इस पर प्राधिकरण द्वारा इस अंडरस्टैंडिंग पर सहमति दी गई कि बिक्री मशीनों, कपों इत्यादि पर यह सूचना उपयुक्त साइज के पाठ में हो।

इन अवलोकनों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

सूक्ष्म जैवविज्ञान/परिशिष्ट ख

(1) **फलों और सब्जियों के सूक्ष्म जैववैज्ञानिक मानक**

क) प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को नोट कर ''किण्वित अथवा लवण-उपचारित अथवा आम्लित अथवा परिरक्षीयुक्त'' श्रेणी की परिभाषा में ''खाद्य तेल'' की जगह ''खाद्य वनस्पति तेल'' रखना अनुमोदित किया । सारणी 4क की क्रम सं0 2 पर उत्पाद के विवरण में ''गैर-तापीय प्रसंस्कृत'' शब्द जोड़ने और रसों के मामले में यूनिट को 'ग्रा' से 'मि.ली' दिखाने का निर्णय भी लिया गया।

ख) *'प्रतिचयन योजनाएँ और दिशा-निर्देश'* शीर्षक के अंतर्गत पहले पैराग्राफ में प्रस्तावित संशोधन *'अंतिम निर्णय परिणामों के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें सारणी 4ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) को छोड़कर सूक्ष्म जैववैज्ञानिक मानदंडों के लिए पुन: परीक्षण का कोई उपबंध नहीं होगा'* और *''सारणी 4ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) में सूक्ष्म जैववैज्ञानिक मानकों में खेप/राशि की स्वीकरणीयता को परिभाषित किया गया है और उसे उत्पादन प्रक्रिया और बाजार में उत्पादों की भंडारण अवधि के समय पूरा किया जाएगा''* स्टेटमेंट को *''असंतोषजनक परिणाम की स्थिति में की गई कार्रवाई''* शीर्षक से *''चरण जिसमें सूक्ष्म जैववैज्ञानिक मानक लागू होंगे''* शीर्षक में बदलने के संबंध में निर्णय लिया गया कि उद्योग की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय अलग संशोधन के रूप में अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से लिया जाएगा, क्योंकि इस संबंध में प्राधिकरण

द्वारा दिनांक 21.09.2017 को आयोजित इसकी 24वीं बैठक में अनुमोदित पिछला संशोधन अंतिम अधिसूचना के चरण में है।

(ख)मसौदा अधिसूचनाएँ

(I) 'विनियम 2.1 डेयरी उत्पाद और सदृश पदार्थ' में संशोधन

(1) बकरी/भेड़ के दूध का मानक, (2) दूध और दुग्ध पाउडरों में सोडियम अंश की मात्रात्मक विशिष्टि, (3) छेना और पनीर, (4) व्हे पनीर, (5) लवण जल सिक्त पनीर, (6) डेयरी परमियेट पाउडर;

दूध और दुग्ध उत्पादों में सोडियम अंश की विशिष्टि के संबंध में सुश्री श्रेया पांडेय ने कुल सोडियम अंश में 'एस.एन.एफ आधार पर' शब्द जोड़ने का प्रस्ताव दिया। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि उद्योग से एक सप्ताह के अंदर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद मसौदा विनियम का प्राधिकरण की तरफ से अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए।

आगे, उन्होंने डेयरी परमियेट पाउडरों में 'व्हे (एसिड व्हे सहित)' शामिल करने के बारे में सुझाव दिया। यह स्पष्ट किया गया कि इस मामले पर संबंधित वैज्ञानिक पैनल द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।

(II) 'विनियम 2.2 वसा, तेल और वसा पायस' में संशोधन

(1) परिशोधित वनस्पति तेल; (2) 'सूरजमुखी के बीज का तेल' और सूरजमुखी के बीज का आयातित तेल और सूरजमुखी के बेज का तेल (उच्च ओलीक एसिड - आयातित अथवा देशी)'; (3) चिया तेल और इसके वसीय अम्ल संघटन; (4) परिशोधित वनस्पति तेल, अंशत: हाइड्रोजनीकृत सोयाबीन तेल, टेबल मार्जरीन, मिक्स्ड फैट स्प्रैड और वेजिटेबल फैट स्प्रैड के मानक में ट्रांस फैट शामिल करना;

परिशोधित वनस्पति तेल के बारे में मसौदा विनियम में उल्लिखित तेलों की सूचना हटाकर उसकी जगह *''परिशोधित वनस्पति एफ.एस.एस.आर में मानकीकृत वनस्पति तेलों से बनाया जाए''* उल्लेख करने का सुझाव दिया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा सहमति व्यक्त की गई। विवरण में 'एन्जाइमी प्रसंस्करण' जोड़ने का सुझाव भी दिया गया।

इन टिप्पणियों के साथ प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(III) 'विनियम 2.3 फल और सब्जी उत्पाद' में संशोधन

(1) संश्लेषित शरबत और सिरप; (2) कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम;

उद्योग के प्रतिनिधियों ने प्राकृतिक और संश्लेषित सिरपों के लिए अलग-अलग मानक बनाने का सुझाव दिया। यह निर्णय लिया गया कि उद्योग से एक सप्ताह के अंदर टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद मसौदा अधिसूचना को आगे की कार्रवाई के लिए प्राधिकरण की तरफ से अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

प्राधिकरण ने कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम के मसौदे का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(IV)**'विनियम 2.4 धान्य और धान्य उत्पाद' में संशोधन**

(1) गेहूँ का चोकर; (2) गैर-किण्वित सोयाबीन उत्पाद;

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(V) **'विनियम 2.5 मांस और मांस उत्पाद' में संशोधन**

(1) डिब्बाबंद/रिटोर्ट पाउच मांस उत्पाद; (2) कटे हुए/पुनर्रूपित मांस उत्पाद; (3) संसाधित/अचार डला मांस और/अथवा धूमित मांस उत्पाद; (4) शुष्कित/निर्जल मांस उत्पाद; (5) पके/आधे पके मांस उत्पाद; (6) किण्वित मांस उत्पाद, (7) मैरिनेटित मांस उत्पाद; (8) खरगोश का ताजा/शीतित/प्रशीतित मांस;

उद्योग के प्रतिनिधियों ने शुष्कित/निर्जलीकृत मांस उत्पादों के ऐच्छिक संघटकों को कटे हुए/पुनर्रूपित मांस उत्पाद के अनुरूप करने का अनुरोध किया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का उपर्युक्त परिवर्तन के साथ अनुमोदन किया।

(VI)'विनियम 2.7 मिठाइयाँ और मिष्टान्न' में संशोधन

(1) खाद्य आइस/आइस लोलीज में मसालों का उपयोग

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VII) 'विनियम 2.9 नमक, मसाले, कंडीमेंट्स और सम्बद्ध उत्पाद' में संशोधन

(1) सूखी अजवायन - साबुत और चूर्ण; (2) लाल गोल मिर्च - साबुत और चूर्ण; (3) तेजपत्ता - साबुत और चूर्ण; (4) सूखा पौदीना; (5) सूखी मेहंदी;

सुश्री श्रेया पांडेय ने सुझाव दिया कि सूखी अजवायन के चूर्ण में वाष्पशील तेल अंश की सीमा 1.5 से घटाकर 0.9 मि.ली/100 ग्रा की जाए। यह स्पष्ट किया गया कि इस सीमा की संबंधित वैज्ञानिक पैनल ने अनुशंसा की है और सदस्य अपनी

सम्मतियाँ मसौदा अधिसूचना स्तर पर दे सकते हैं। आगे, मसौदा अधिसूचना पर प्राप्त सम्मतियों को अंतिम रूप देते समय मसाला बोर्ड से परामर्श लेने का सुझाव दिया गया।

इन टिप्पणियों के साथ प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VIII) 'विनियम 2.10 बीवरेज (डेयरी और फल व सब्जी-आधारित के अलावा)' में संशोधन

(1) कैफीनरहित कॉफी; (2) कॉफी-कासनी मिश्र में कासनी अंश में कमी करना; (3) पैकेजबंद पेय जल में टी.डी.एस की निचली सीमा;

सुश्री श्रेया पांडेय ने कैफीनरहित कॉफी-कासनी मिश्र का मानक बनाने का सुझाव दिया, जिसका प्राधिकरण ने अनुमोदन किया।

कॉफी-कासनी मिश्र में कासनी अंश को कम करने के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संशोधन सुरक्षा से संबंधित नहीं है और कॉफी-कासनी का मौजूदा अनुपात उपभोक्ता की पसंद पर आधारित है। चर्चा के बाद प्राधिकरण ने मसौदे का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया। साथ ही इस प्रस्ताव के पीछे औचित्य जानने के लिए कॉफी बोर्ड से परामर्श करने का सुझाव दिया गया।

(IX)उत्पाद मानकों से भारी धातुओं और खाद्य सहयोज्य पदार्थों के उपबंधों की समाप्ति

प्राधिकरण ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(X) 'विनियम 3.1 खाद्य उत्पादों में उपयोग के लिए अन्य पदार्थ और परिशिष्ट क' में संशोधन

(1) सुवासकारी पदार्थ 4,5 एपॉक्सीडेक-2(ट्रांस)-एनॉल; (2) खाद्य श्रेणी 1.6.2 और 1.6.4.1 के लिए खाद्य सहयोज्य मानक; (3) च्युइंग गंम में माइक्रोक्रिस्टेलिन वैक्स; (4) खाद्य श्रेणी 2.1.2 और 2.2.2 से संबंधित खाद्य सहयोज्य पदार्थ; (5) खाद्य श्रेणी 6.2.1, 6.2.2 और 7.2.1 में पोटाशियम आयोडेट; और (6) विभिन्न खाद्य श्रेणियों में प्रयोग के लिए प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ।

सुवासकारी पदार्थ 4,5 एपॉक्सीडेक-2(ट्रांस)-एनॉल के संबंध में उद्योग के प्रतिनिधि के कुछ विचार थे। उन्हें कहा गया था कि उन्हें वे मसौदा अधिसूचना अवस्था में प्रस्तुत करें।

विभिन्न खाद्य श्रेणियों में प्रयोग के लिए प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सदस्यों से अगले दो सप्ताह के अंदर प्राप्त सम्मतियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद मसौदा विनियम को प्राधिकरण की तरफ से अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

इन टिप्पणियों के साथ प्राधिकरण ने 'मद सं0 (6) विभिन्न खाद्य श्रेणियों में प्रयोग के लिए प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ' को छोड़कर मसौदा अधिसूचनाओं का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(XI) परिशिष्ट ख में संशोधन

(1) कुक्कुट (चिकन) मांस में सेलमोनेला की अपेक्षा में संशोधन

प्राधिकरण ने मसौदे का अनुमोदन किया।

ख. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानक;

(क) अंतिम अधिसूचना

(1) प्रतिजैविकों और भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थों की सह्यता सीमाएँ

श्री एन. रमेश, वाणिज्य मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के शीर्षक हटाकर उन्हें एक करने का सुझाव दिया, जिसका प्राधिकरण ने अनुमोदन किया। आगे, कम से कम 180 दिनों का संक्रमण काल अनुमत करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई हो।

इन सम्मतियों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ख) मसौदा अधिसूचना:

(1) चाय में भारी धातु (सीसा) की सीमा, (2) धातु संदूषकों के लिए क्षैतिज मानक/खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम में दिए गए धातु संदूषकों की सारणी में सम्मिलन तथा अंतर होने पर स्तर-निर्धारण, (3) पेस्टीसाइडों की एम.आर.एल निर्धारण।

पेस्टीसाइडों की एम.आर.एल निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण ने पिछली बैठक में लिए गए अपने इस निर्णय को दोहराया कि जहाँ कहीं संबंधित वैज्ञानिक पैनल द्वारा अनुशंसित एम.आर.एल सीमा कोडेक्स से अधिक हो, वहाँ कोडेक्स एम.आर.एल को अपनाया जाए।

इस सुझाव के साथ प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचनाओं का अनुमोदन किया।

ग. खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016

(क) मसौदा अधिसूचना:

(1) नए संघटकों का सम्मिलन और अनुसूचियों/खंडों में संशोधन; (2) सिलियम (ईसबगोल) का भूसा

सुश्री श्रेया पांडेय के सह्य ऊपरी सीमाओं (टी.यू.एल), जो कोडेक्स से भिन्न हैं, के बारे में कुछ अवलोकन थे। यह स्पष्ट किया गया कि उनकी अनुशंसा आई.सी.एम.आर संस्तुतियों के आधार पर संबंधित वैज्ञानिक पैनल द्वारा की गई है। आगे, उन्होंने बताया कि आई.सी.एम.आर द्वारा अनुशंसित टी.यू.एल पब्लिक डोमेन पर नहीं हैं और प्राधिकरण को अनुरोध किया कि उनको उन्हें उपलब्ध कराया जाए। उपरोक्त रिपोर्ट को आई.सी.एम.आर के परामर्श से एफ.एस.एस.ए.आई वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया।

इन अवलोकनों के साथ प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

घ. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2016;

(क) मसौदा अधिसूचना:

(1) पौष्टिकीकृत दूध के मानक

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ङ. खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) विनियम, 2011;

(क) मसौदा अधिसूचना:

(1) खाद्य श्रेणी 2.1.2 और 2.1.2 से संबंधित खाद्य सहयोज्य पदार्थ

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

च. विविध:

(1) वैज्ञानिक पैनलों का पुनर्गठन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

छ. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग) विनियम, 2018 की अंतिम अधिसूचना

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं0 25.2 (क एवं ख):

कार्यसूची की मद सं0 25.2 : खाद्य परीक्षण और निगरानी

क. निम्नलिखित की अभिपुष्टि:

1. **एफ.एस.एस.ए.आई-अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची**

   (क) अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अभिपुष्टि

   (ख) खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, यूसीपांग, भूटान (भूटान एग्रीकल्चर एंड फूड रेगुलेटरी अथोरिटी के अधीन) की मान्यता की अभिपुष्टि

   प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्तावित सूचियों की अभिपुष्टि की।

2. **निम्नलिखित के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन**

   (क) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.टी.ई.एम), कुंडली, सोनीपत

   (ख) ए.ओ.ए.सी इंटरनैशनल, ए.ओ.ए.सी-इंडिया प्रखंड के माध्यम से।

   प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्तावों की अभिपुष्टि की।

ख. (क) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं/सुविधाओं को मान्यता देने और उनकी अधिसूचना संबंधी विनियम की अंतिम अधिसूचना

प्राधिकरण ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं/सुविधाओं को मान्यता देने और उनकी अधिसूचना संबंधी विनियम की अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया। वाणिज्य विभाग से श्री एन. रमेश ने सुझाव दिया कि एफ.एस.एस.ए.आई को एन.ए.बी.एल से इतर संस्थाओं द्वारा प्रत्यायित संस्थाओं को मान्यता देने पर विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में एफ.एस.एस.ए.आई केवल एन.ए.बी.एल-प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को ही अधिसूचित करती है और उन्हें इस संबंध में प्राधिकरण को अलग प्रस्ताव भेजने का परामर्श दिया गया।

(ख) 'एफ.एस.एस.ए.आई विश्लेषण पद्धति मैनुअल - धान्य और धान्य उत्पाद' में सम्मिलन के लिए विश्लेषण पद्धतियाँ

प्राधिकरण ने 'एफ.एस.एस.ए.आई विश्लेषण पद्धति मैनुअल - धान्य और धान्य उत्पाद' की धान्य और धान्य उत्पाद श्रेणी के अंतर्गत वस्तुओं के मानदंडों के लिए परीक्षण मानदंडों की प्रस्तावित परीक्षण पद्धतियों का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं0 25.3 : खाद्य सुरक्षा अनुपालन

(क) मानकों/विनियमों और निर्देशों का क्रियान्वयन

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश;

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 का क्रियान्वयन

(3) विभिन्न खाद्य श्रेणियों में उपयोग के खाद्य सहयोज्य पदार्थों के मानकों का क्रियान्वयन;

(4) कैफीनयुक्त बीवरेजों के मानकों से संबंधित अधिसूचना फा. सं0 पी.15025/93/2011-पी.एफ.ए/एफ.एस.एस.आई, दिनांक 02 दिसंबर, 2016 और आदेश सं0 1322/कैफीनयुक्त बीवरेज/आई.बी.ए/रेगु/एफ.एस.एस.ए.आई-2017, दिनांक 15 जून, 2017 2017 के अनुपालन के लिए समय-सीमा में बढ़ौतरी

(5) इन्स्टैंट नूडल्स की लेबलिंग अपेक्षाएँ

(6) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 का क्रियान्वयन

(7) सीजनिंग की लेबलिंग अपेक्षाएँ

(8) खाद्य पदार्थों के पौष्टिकीकरण मानकों से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) मानक, 2017 का क्रियान्वयन

(9) खाद्य उत्पादों के लेबलों पर क्लास टाइटल, ट्रांस फैट अंश और सैच्युरेटिड फैट अंश की घोषणा से संबंधित अधिसूचना सं0 फा. सं0 1(94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/एन्फो/एफ.एस.एस.ए.आई, दिनांक 25 मई, 2016

(10) खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 का क्रियान्वयन

(11) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत मांस, दूध और उन्के उत्पादों की सूक्ष्मजैविक अपेक्षाओं संबंधी निर्देश

(12) विभिन्न खाद्य श्रेणियों में उपयोग के खाद्य सहयोज्य पदार्थों के मानकों से संबंधित समयावधि में बढ़ौतरी

(13) खाद्य उत्पादों की पैकेजबंदी में प्रयुक्त टिन के मानक।

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर उपर्युक्त कार्रवाइयों की अभिपुष्टि की।

(14) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत चाय में लौह फिलिंगों के संबंध में पत्र सं0 12(4)/2016/विविध/एन्फो/एफ.एस.एस.ए.आई, दिनांक 02.11.2017 द्वारा जारी निर्देश

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ख) केंद्रीय सलाहकार समिति की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

(ग) मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग) विनियम, 2017 के अंतर्गत 15 खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसियों को अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान करना और केंद्रीय संस्थाओं में खाद्य सुरक्षा ऑडिट का संचालन

(घ) दिनांक 8 जनवरी, 2018 को 'अभिसरण और ठोस कार्रवाई के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य संवर्धन' विषय पर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों/खाद्य सुरक्षा आयुक्तों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

(ङ) खाद्य उद्योग के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफ.एस.एम.एस) मार्गदर्शी प्रलेख

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मद को नोट किया। श्री एन. रमेश ने इन प्रलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, क्योंकि कुछ देश व्यापार प्रयोजन के लिए खाद्य नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन मांगते हैं। इन प्रलेखों को वाणिज्य मंत्रालय को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची की मद सं0 25.4: सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर उसका अनुमोदन किया।

मद सं0 VI: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद

पूरक मद सं0 25.V(1)

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट किया, जिसमें मुख्य संशोधन और नए प्रावधान दिए गए थे। प्राधिकरण को दिसंबर, 2017 के आखिरी सप्ताह में खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस) के कार्यकरण में आई दिक्कतों से परिचित कराया गया और यह बताया गया कि जिन खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस 15 दिसंबर, 2017 से 15 फरवरी, 2018 के बीच गतावधि हो गए

थे, उन्हें अपने लाइसेंस बिना किसी पेनल्टी के दिनांक 31 मार्च, 2018 तक नवीकृत करा लेने की समय-सीमा दी गई।

प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के प्रस्तावित पुनरीक्षणों का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया। पुनरीक्षित पाठ को मसौदा विनियम के रूप में अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा।

कार्यसूची की पूरक मद सं0 25.V(2)

खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011 में सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल की लेबलिंग से संबंधित प्रस्तावित परिवर्तनों का क्रियान्वयन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर प्रस्ताव की अभिपुष्टि की।

कार्यसूची की पूरक मद सं0 25.V(3)

स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में खाद्य सुरक्षा पाठ्यक्रम का सम्मिलन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा पाठ्यक्रम के सम्मिलन का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की पूरक मद सं0 25.V(4)

खिलाड़ियों के लिए पूरक आहारों के उपयोग पर मार्गदर्शी प्रलेख

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर खिलाड़ियों के लिए पूरक आहारों के उपयोग पर प्रस्तावित मार्गदर्शी प्रलेख का अनुमोदन किया। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों को उद्योग को उसकी सम्मति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची की पूरक मद सं0 25.V(5)

भारत में खाद्य तेलों के अनिवार्य पौष्टिकीकरण के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह निर्णय लिया गया कि विनियमों के अनुपालन के लिए उत्पादकों को संक्रमण काल अनुमत किया जाए।

बैठक सभी सहभागियों को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

हस्ता/-	हस्ता/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

अनुबंध

सहभागियों की सूची

क. **प्राधिकरण के सदस्य**

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई, सदस्य सचिव;
3. श्री आशीष गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली (श्री सुधीर कुमार संयुक्त सचिव की एवज में)
4. श्री एन. रमेश, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय (श्री संतोष सारंगी, संयुक्त सचिव की एवज में)
5. श्री के.बी सुब्रमण्यम्, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (श्री पराग गुप्ता, संयुक्त सचिव की एवज में)
6. डॉ. राकेश जोशी, उप निदेशक, विधिक मापविज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग (श्री पी.वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव की एवज में);

क. विशेष आमंत्रिति

1. सुश्री पर्णा दासगुप्ता, फिक्की;
2. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई);
3. सुश्री श्रेया पांडेय, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्ज एशोसिएशन (एआईएफपीए);

ख. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. सुश्री माध्वी दास, सी.एम.एस.ओ
2. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
3. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स)
4. श्री एन. भास्कर, सलाहकार (क्यूए)
5. श्री एस.के यादव, निदेशक (आयात)
6. सुश्री गरिमा सिंह, निदेशक (आरसीडी)
7. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (आरएआरडी)
8. सुश्री सुनीति टुटेजा, निदेशक (एफ.एस.एम.एस)
9. श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन)
10. श्री ए.के. चाणना, प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
11. डॉ. ए.सी मिश्रा, संयुक्त सचिव (मानक)

12. डॉ. ए. के. शर्मा, परामर्शदाता
13. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता
14. सुश्री अनीता मखीजानी, उप निदेशक (तकनीकी)
15. डॉ. कविता रामासमी, वैज्ञानिक IV(III) (मानक)
16. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम/कोडेक्स)
17. सुश्री रत्ना श्रीवास्तव, वैज्ञानिक iv(I) (विनियम)
18. सुश्री कृति चुघ, सहायक निदेशक (मानक)
19. डॉ. (सुश्री) शेल्वी अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी (मानक)
20. सुश्री साक्षी पिपलियाल, तकनीकी अधिकारी (कोडेक्स)

0-0-0-0-0